(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29 / 2026

दायर दिनांकः 27.01.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. कारीबाई पुत्री कलाबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया
2. गंगाबाई पुत्री पानीबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया
3. जमनीबाई पुत्री पानीबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया
4. दुर्गालाल पुत्र चंदरीबाई (पानीबाई पुत्री सीता) पिता चंपालाल नि. दिवलखेडा तहसील रायपुर
5. धन्नीबाई पुत्री चंदरीबाई (पानीबाई पुत्री सीता) पिता चंपालाल नि. दिवलखेडा तहसील रायपुर
6. बगदुराम पुत्र कंकुबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया
7. बजरंगलाल पुत्र चंदरीबाई (पानीबाई पुत्री सीता) पिता चंपालाल नि. दिवलखेडा तहसील रायपुर
8. भागीरथ पुत्र पानीबाई पुत्री सीता जाति मेघवाल नि. सनोरिया
9. रतनलाल पुत्र पानीबाई पुत्री सीता जाति मेघवाल नि. सनोरिया
10. राधेश्याम पुत्र कंकुबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया
11. रामलाल पुत्र पानीबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया
12. संतोषबाई पुत्री चंदरीबाई (पानीबाई पुत्री सीता) पिता चंपालाल नि. दिवलखेडा तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी : — पैरोकार सरकार

अप्रार्थीगण :— एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

दिनांक : 17.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि सेटलमेंट सम्वत् 2022–41 में तहसील सुनेल के ग्राम सनोरिया पटवार हत्यत बोलिया बुजुर्ग आराजी खसरा सं. 400 रकबा 0.0070 हैक्ट अप्रार्थी सीता वल्द नन्दा चमार सा देह माफी बलाई गिरी खातेदार के रूप में भू प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज किया गया है। यह है कि सेटलमेंट सम्वत् 2022–41 में हाल खसरा सं. 466 के गत खसरा स 340 दर्ज था। यह कि अप्रार्थी सीता वल्द नन्दा फौत हो जाने पर जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में नामान्तरण सं. 668 से वारिसान कारीबाई पुत्र कंकुबाई, बगदुराम पुत्र कंकुबाई, राधेश्याम पुत्र कंकुबाई, रामलाल पुत्र पानीबाई पुत्री सीता भागीरथ पुत्र पानीबाई पुत्री सीता, रतनलाल पुत्र पानीबाई पुत्री सीता गंगाबाई पुत्री पानीबाई पुत्री सीता और चन्दीबाई पुत्री पानीबाई पुत्री सीता के फौत हो जाने पर नामान्तरण स. 1067 से वारिसान धन्नीबाई, संतोषबाई पुत्री चन्द्रीबाई दर्ज रिकार्ड है। यह कि तहसील सुनेल के ग्राम सनोरिया पटवार मण्डल बोलिया बुजुर्ग की आराजी खाता सं. 246/191, खस 466 रकबा 0.6070 हैक्ट है। जिसमें अप्रार्थीगण वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में गैरखातेदार दर्ज है। यह कि भू प्रबंध विभाग और पूर्व की जमाबन्दी सम्यत् 2020–23 और सेटलमेंट सम्बत् 2003 में आराजी खाता स 240/191 ख. सं. 466 में अनाधर्थी नाकी बलाई गिरी खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड था। अप्रार्थी उक्त आराजी पर कब्जे काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 466 रकबा 0.0070 हैक्ट जमाबन्दी स. 2018–21 में खाता सरकार दर्ज थी। लेकिन सेटलमेंट कार्य के दौरान सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्ठियों में परिवर्तन कर खाता सरकार से अप्रार्थी सीता वल्द नन्दा चमार जाति चमार सा देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दी। जबकि सेटलमेंट विभाग को इसका कोई अधिकार नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड [illegible] प्रविष्ठि में की गई त्रुटि को 4/5 136 एल आर एक्ट [illegible]कर पुनः [illegible] सरकार दर्ज किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 13.03.2026 से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम सनोरिया की सं. 2022–41 की जमाबंदी खाता सं. 69, मिलान क्षेत्रफल, ग्राम सनोरिया की जमाबंदी सं. 2020–23, संयुक्त राजस्थान राज्य कोटा की सेंटलमेंट विभाग की जमाबंदी सं. 2003, जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 249, खसरा गिरदावरी सं. 2081, खसरा नक्शा दिनांक 21.04.2025, खसरा मौजा सेटलमेंट डिपार्टमेंट एवं राजस्व विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 20.11.2007 की नकल पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार ने लिखित बहस पेश की। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सनोरिया के ख.नं. 466 रकबा 0.6070 है. भूमि जमाबंदी सं. 2018–21 में खाता सरकार दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर अप्रार्थी के नाम जैली के रूप में दर्ज कर दी और बाद में राजस्व कार्मिकों द्वारा गैर कानूनी रूप से जैली को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त गैरखातेदार को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया एवं जिला रिकार्ड रूम से भी किसी प्रकार का आवंटन दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। गैरखातेदार अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं है जो कि आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। वादग्रस्त भूमी पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। अतः गैरखातेदारी से खाता सरकार दर्ज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पासे अपने पक्ष में पेश करने के लिए कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6. पैराकार सरकार की एकतरफा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सनोरिया तहसील सूनेल की हाल जमाबंदी सं. 2072–75 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। गैर खातेदारी कब दर्ज हुई इसके संबंध में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2022 से 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा न0 466 माफी रकबा 2–08 बीघा माफी बलाई गिरी सीता वल्द नंदा चमार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि माफी की भूमि है और सेंटलमेंट विभाग की जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज थी। सेंटलमेंट विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 में गैर खातेदारी दर्ज ना होकर खातेदारी दर्ज थी। अतः प्रार्थी पेरोकार सरकार का यह कथन गलत है कि सेंटलमेंट के दौरान वादग्रस्त भूमि को गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा पेश मिलान क्षेत्रल हाल ख.नं. 466 साबिक/पुराना ख.नं. 340 से बनाया गया था। **प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सनोरिया की संयुक्त राजस्थान राज्य कोटा की सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी सं. 2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख.नं. 340 रकबा 2–08 बीघा बावडा सीता वल्द नंदा चमार सा.देह नाकेदार के रूप में दर्ज थी। भूमि खाता सरकार दर्ज नहीं थी। उक्त जमाबंदी में कही भी वादग्रस्त आराजी का खाता सरकार दर्ज होने का अंकन नहीं है। प्रार्थी द्वारा सं. 2018–21 या 2014–17 की कोई भी जमाबंदी बार बार दिशा निर्देशित करने के बाद भी पेश नहीं की है जिससे सह साबित नहीं है कि वादग्रस्त आराजी सेंटलमेंट से पूर्व खाता सरकार दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि सं. 2003 से ही माफीदार के रूप में खातेदारी में दर्ज है। हाल सेटलमेंट सं. 2022–41 के बाद ही राजस्व कार्मिको द्वारा वादग्रस्त भूमि को जमाबंदी में गैर खातेदारी में अंकित किया है। खातेदारी की भूमि को सेंटलमेंट के बाद किस आदेश से गैर खातेदारी में दर्ज किया है इसका कोई भी साक्ष्य प्रार्थी तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2056–59 में भी [illegible] रूप में दर्ज है और <u>माफी बलाई गिरी शब्द</u> [illegible] है। अतः स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको द्वारा सं. 2041 के बाद और सं. 2056 से पहले बिना किसी**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(7)

न्यायालय के आदेश के या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के वादग्रस्त भूमि को खातेदारी से गैर खातेदारी में दर्ज कर माफी बलाई गिरी शब्द को हटा दिया गया जिसका राजस्व कार्मिको को कोई हक व अधिकार नहीं था।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट विभाग या तहसील कार्मिको को राजस्व रिकॉर्ड की मूल प्रविष्टियों मे बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। अतः हस्तगत प्रकरण में **बिना किसी न्यायालय के आदेश के या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहसील/राजस्व कार्मिको द्वारा वादग्रस्त भूमि को खातेदारी से गैर खातेदारी में दर्ज किया गया जो विधिक प्रावधानो के विरूद्ध है।**

8. राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 9(225) राज–6/07/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार यदि भू प्रबंधन प्रकिया के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भू प्रबंध के दौरान हुयी त्रुटियों को धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही दर्ज कर दर्ज गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया जाये एवं नियमानुसार निर्णय किया जाकर गलत रूप से इंद्राज कि गई गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने की कार्यवाही की जावे। **हस्तगत प्रकरण में संटलमेंट विभाग द्वारा गैर खातेदार को खातेदार दर्ज करना साबित नहीं है। अप्रार्थीगण का सेंटलमेंट से पूर्व ही माफीदार के रूप में खातेदार दर्ज होना जाहिर होता है।**

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 466 रकबा 0.70 हे. के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में खारीज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

–::क्रियात्मक आदेश::–

10. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में खारीज किया जाता है। ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 466 रकबा 0.6070 है. के सं. 2042–56 के बीच के राजस्व रिकार्ड की जांच कर तहसीलदार सुनेल नियमानुसार शुद्धिपत्र/फर्द बदर द्वारा गलत तरीके से दर्ज हुई गैर खातेदारी को पुनः माफी बलाई गिरी खातेदारी दर्ज करने हेतु स्वतंत्र है।

11. यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

17/4/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner